ई० फाईल सं०-50154

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक : 16 मार्च, 2026

विषय राज्य योजना (मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-552/2018) के अंतर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट में गैरखेत-लखमरा मोटर मार्ग का नवनिर्माण (द्वितीय चरण स्टेज-1) पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण स्टेज-1) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं०-5728/III(2)/21-46 (एम०एल०ए०)/ 2017, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा लम्बाई 3.750 कि०मी० तथा लागत ₹122.90 लाख की प्रदान की गई है।

2- उक्त कार्य हेतु प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष दिनांक 01.01.2022 को अनुबंध गठित होने के उपरान्त, सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा विषयगत मार्ग के चैनेज 2/26 के आगे का कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित ठेकेदार पर नियमानुसार अर्थदण्ड लगाते हुए उक्त अनुबंध का निरस्तीकरण कर अनुबंध की धनराशि रू. 122.90 लाख के सापेक्ष रू. 87.71 लाख का भुगतान किया गया है। उक्त मार्ग के शेष भाग के कटिंग कार्य हेतु निविदाएं स्वीकृत धनराशि से अधिक प्राप्त होने के कारण शेष पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जाना संभव नहीं होने के दृष्टिगत मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गए पुनरीक्षित आगणन की धनराशि ₹ 213.55 लाख का परीक्षण शासन स्तर पर किए जाने के उपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई सम्पूर्ण लागत **₹ 213.55** लाख {**₹ 122.90** लाख मूल **स्वीकृत लागत + ₹ 90.65** लाख अतिरिक्त लागत} की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की पुनरीक्षित स्वीकृति माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

i. उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश सं०-5728/III(2)/21-46 (एम०एल०ए०)/ 2017, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा मूल स्वीकृत लागत ₹ 122.90 लाख तथा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन के परीक्षणोंपरान्ता औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि **₹90.65** लाख में उक्त कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश सं०-5728/III(2)/21-46 (एम०एल०ए०)/ 2017, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

ii. विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

iii. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iv. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

Scanned with OKEN Scanner

v. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

vi. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

vii. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

viii. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

ix. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

x. कार्यस्थल में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय-समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जाये।

xi. चूंकि, प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व स्वीकृत लागत रू. 122.90 लाख के सापेक्ष 2.650 कि०मी० हेतु कुल 55.42 लाख का अधिक भुगतान किया गया है, जिसके लिए तकनीकी परामर्शदाता द्वारा पुनरीक्षित लागत रू. 213.55 लाख को इस मंतव्य के साथ स्वीकार किया गया है कि विषयगत कार्य के अनुबंध के अंतर्गत चालू देयकों में ठेकेदार को पहाड़ कटान हेतु /त्रुटिपूर्ण भुगतान किये जाने के दृष्टिगत सम्बन्धितों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। अत: इस सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धितों के विरूद्ध समयबद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत धनराशि को सम्बन्धितों के नामे विविध अग्रिम स्वीकृत करते हुए ही धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को भी अवगत कराया जायेगा। भविष्य में विभागीय जांच आख्या पर लिए गए निर्णय के अनुसार ही विविध अग्रिम वसूली किये जाने का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग का होगा

3- उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0 22 लेखाशीर्षक- 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सडक निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण कार्य (5054-04-800-03-01 से स्थानान्तरित) की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर से किया जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित पत्र सं0-**I/ 378464/2026,** दिनांक **12.03.2025** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Vineet Kumar
Date: 16-03-2026
16:17:29

(विनीत कुमार)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।

File No. PWD2-BUD/ANBU/23/2023-III-2-Public Works Department (Computer No. 50154)
Generated from eOffice by JITENDRA FARSWAN, RO - PWD 2 - JF, REVIEW OFFICER, Public Works Department on 17/03/2026 09:26 am

Scanned with OKEN Scanner

5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो.नि.वि., अल्मोड़ा ।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., कपकोट ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से
अपर सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
"नियोजन-।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTRAKHAND)
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक-330 /20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026, दिनांक-23/मार्च/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 01 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3. अधिशासी अभियन्ता, CD खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट ।
4. आई०टी० सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

23/3/26
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner